[2024] 11 एस.सी.आर. 2265:2024 आइएनएससी 1060

वी.डी. रविशा

बनाम

कर्णाटक राज्य

(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) 980/2024)

(22 अक्टूबर 2024)

[सुधांसु धुलिया एवं अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायाधीश**]**

विचारणीय मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420, 468, 465 एवं 471 के अंतर्गत अपराध करने का दोषी है, और यदि हाँ, तो क्या विचारण न्यायालय द्वारा उस पर आरोपित तथा अपीलीय न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई सजाएँ हस्तक्षेप की अपेक्षा रखती हैं।

शीर्ष टिप्पणियां

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धाराएँ 406, 420, 468, 465, 471 - याचिकाकर्ता ने वाहन क्रय हेतु प्राप्त ऋण का पुनर्भुगतान करने में विफलता प्रदर्शित की - यह आरोप है कि याचिकाकर्ता ने दस्तावेजों की जालसाजी की और वाहन को एक व्यक्ति 'एस' को बेच दिया - प्राथमिकी दर्ज की गई - विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 468, 465, 420 एवं 471 के अंतर्गत दोषी पाया - आपराधिक अपील अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई - याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण भी निरस्त कर दिया गया - शुद्धता (Correctness)।:

अभिनिर्धारित: अभियुक्त ने कंपनी से ऋण लेने तथा उसके पश्चात वाहन को 'एस' के पक्ष में बेचने के तथ्य का खंडन नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने यह रुख अपनाया कि दस्तावेज

वास्तविक हैं और जाली एवं/या कपटपूर्ण नहीं हैं, जबकि समस्त साक्ष्य, चाहे वे मौखिक हों या दस्तावेजी, इसके विपरीत स्पष्ट संकेत देते हैं। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि अभियुक्त ने ऋण का पुनर्भुगतान किया था। यदि याचिकाकर्ता ने वास्तव में ऋण चुका दिया होता, तो वह न्यायालयों के समक्ष ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता था, जिससे यह दर्शाया जा सके कि उसके खाते/स्रोत से वित्तपोषक कंपनी को धनराशि स्थानांतरित की गई थी, परंतु ऐसा नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के दोष को स्थापित करने के लिए पर्याप्त एवं विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालयों ने उचित रूप से विश्वास किया और निर्भर किया। अतः इसमें कोई त्रुटि (infirmity) न पाए जाने के कारण दोषसिद्धि में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। न्याय के हित में, दंड को घटाकर एक वर्ष छह माह का साधारण कारावास किया जाता है। [अनुच्छेद 12, 18, 19]

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 406 एवं धारा 420 - आपराधिक न्यासभंग (criminal breach of trust) और छल (cheating) के बीच अंतर - विवेचित।

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 406 एवं धारा 420 - क्या वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 एवं 420 दोनों के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जा सकता है:

अभिनिर्धारित: अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के साथ तथ्यों के समग्र परिदृश्य का अवलोकन करने पर, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 एवं 420 के तत्वों की पूर्ति के संदर्भ में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो सकता है कि याचिकाकर्ता को दोनों धाराओं के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। किन्तु, वर्तमान मामले में विषय का समुचित एवं समग्र विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि एक सूक्ष्म अंतर विद्यमान है, क्योंकि दो भिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित अपराध किए गए हैं। स्पष्टतः, याचिकाकर्ता कंपनी के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत दोषी है तथा 'एम' (पीडब्ल्यू-4 एवं क्रेता 'एस' के पति) के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत भी दोषी है। [अनुच्छेद 21]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **[2024] 8 एससीआर 670 : (2024) 10 एससीसी 690** - अवलंबित।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860

प्रमुख शब्दों की सूची

आपराधिक न्यासभंग; छल; वाहन; ऋण; ऋण के पुनर्भुगतान में चूक; जालसाजी; दस्तावेजों का कूटरचना

मामले की उत्पत्ति

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 980/2024

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा सीआरएलआरपी संख्या 653/2020 में दिनांक 11.10.2023 को पारित निर्णय एवं आदेश से।

अधिवक्तागण

अधिवक्तागण – याचिकाकर्ता की ओर से:

राहुल कौशिक, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनिल सी. निशानी, केशव मूर्ति, जयराम, विश्वेश आर. मुरनल, एम/एस कृष्णा एंड निशानी लॉ चेम्बर्स।

अधिवक्तागण – उत्तरदाता की ओर से:

वी. एन. रघुपति, राघवेंद्र एम. कुलकर्णी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / आदेश

<u>आदेश</u>

अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायाधीश:

1. वर्तमान याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 653/2020 में दिनांक 11.10.2023 को पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश (जिसे आगे 'अपीलित आदेश' कहा गया है) को चुनौती देती है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विद्वान VI अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तुमकुरु (जिसे आगे 'अपील न्यायालय' कहा गया है) द्वारा आपराधिक अपील संख्या 29/2018 में दिनांक 25.08.2020 को पारित निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की, जिसने विद्वान अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तुमकुरु (जिसे आगे 'विचारण न्यायालय' कहा गया है) द्वारा सी.सी. संख्या 1218/2012 में दिनांक 26.04.2018 को पारित निर्णय एवं आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि एवं आरोपित दंड को अनुमोदित किया था।

<u>तथ्यात्मक अवलोकन</u>

2. याचिकाकर्ता (जिसे आगे 'अभियुक्त' भी कहा गया है) ने पंजीकरण संख्या KA-41-2298 वाले वाहन को एम/एस श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे 'कंपनी' कहा गया है) से ₹3,00,000/- (केवल तीन लाख रुपये) की वित्तीय सहायता प्राप्त कर क्रय किया था। अभियुक्त एवं कंपनी के मध्य एक ऋण-सह-परिकल्पन अनुबंध (Loan-cum-Hypothecation Agreement) (जिसे आगे 'अनुबंध' कहा गया है) संपादित किया गया, जिसके अंतर्गत उक्त वाहन कंपनी के पक्ष में परिकल्पित (hypothecated) किया गया तथा इसका विधिवत उल्लेख उक्त वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र में किया गया। यद्यपि अभियुक्त ने एक-दो किश्तों का भुगतान किया, तथापि इसके पश्चात उसने चूक कर दी और अनेक अनुरोधों के बावजूद आगे कोई भुगतान नहीं किया। तदनुसार, अनुबंध की शर्तों के अनुसार वाहन को कंपनी द्वारा जब्त किया जा सकता था, इसलिए दिनांक 18.02.2011 को कंपनी के संबंधित शाखा प्रबंधक ने वाहन को जब्त कर पुलिस स्टेशन ले जाया। उस समय यह प्रकाश में आया कि याचिकाकर्ता ने ₹2,95,000/- (केवल दो लाख पचानवे हजार रुपये) के ऋण का भुगतान किए बिना ही (i) ऋण राशि चुकाने के संबंध में रसीद संख्या AD 0873936; (ii) अनापत्ति प्रमाणपत्र (No-Objection Certificate); तथा (iii) कंपनी द्वारा कथित रूप से जारी प्रपत्र संख्या 35–इन दस्तावेजों को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर जालसाजी कर तैयार किया तथा वाहन को

सावित्तरम्मा नामक व्यक्ति को बेच दिया। संक्षेप में, यह आरोप है कि याचिकाकर्ता ने कंपनी के प्रति देय संपूर्ण ऋण दायित्व का निर्वहन किए बिना, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के समक्ष जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर परिकल्पना (hypothecation) हटवाकर वाहन का विक्रय कर दिया।

3. इन आरोपों के आधार पर, कंपनी के शाखा प्रबंधक ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके फलस्वरूप दिनांक 18.02.2011 को अपराध संख्या 34/2011 के रूप में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं 406, 420 एवं 468 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। दिनांक 16.11.2011 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 468, 420, 465 एवं 471 के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया गया और मामला विचारण न्यायालय के समक्ष सी.सी. संख्या 1218/2012 के रूप में पंजीकृत हुआ।

---

1. '406. आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड.—जो कोई आपराधिक न्यासभंग करता है, वह किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।'
2. '420. छल तथा संपत्ति के वितरण के लिए बेईमानीपूर्वक प्रेरित करना.—जो कोई छल करता है और इस प्रकार कपटपूर्वक किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति के पूरे या किसी भाग को बनाने, परिवर्तित करने या नष्ट करने के लिए, या ऐसी किसी वस्तु के लिए जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है और जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, प्रेरित करता है, वह किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा और साथ ही जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।'
3. '468. छल के प्रयोजन के लिए जालसाजी.—जो कोई जालसाजी करता है, इस आशय से कि जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का उपयोग छल के प्रयोजन के लिए किया जाएगा, वह किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा और साथ ही जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।'
4. '34. समान आशय की पूर्ति में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य.—जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा, सभी के समान आशय की पूर्ति में किया जाता है, तब उन व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कृत्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा मानो वह कृत्य उसने अकेले किया हो।'

4. विचारण न्यायालय के समक्ष, अभियोजन पक्ष ने पीडब्ल्यू-1 से पीडब्ल्यू-13 तक के साक्षियों का परीक्षण किया तथा प्रदर्श-पी1 से प्रदर्श-पी32 तक अंकित किए और एक कॉम्पैक्ट डिस्क को एम.ओ.-1 के रूप में प्रदर्शित किया। याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, सिवाय एक दस्तावेज के, जिसे प्रदर्श-डी1 के रूप में अंकित किया गया। उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 468, 465, 420 एवं 471 के अंतर्गत दोषी पाया तथा उसे कठोर कारावास (जिसे आगे 'आर.आई.' कहा गया है), साधारण कारावास (जिसे आगे 'एस.आई.' कहा गया है) एवं जुर्माने से निम्नानुसार दंडित किया:

भारतीय दंड संहिता की धारा	दोषसिद्धि एवं दंड
406	₹5,000/- का जुर्माना। जुर्माना अदा न करने की दशा में तीन माह का साधारण कारावास।
468	दो वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹3,000/- का जुर्माना। जुर्माना अदा न करने की दशा में अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास।
465	₹5,000/- का जुर्माना। जुर्माना अदा न करने की दशा में तीन माह का साधारण कारावास।
420	दो वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹3,000/- का जुर्माना। जुर्माना अदा न करने की दशा में अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास।
471	₹5,000/- का जुर्माना। जुर्माना अदा न करने की दशा में तीन माह का साधारण कारावास।

5. उपर्युक्त दोषसिद्धि एवं आरोपित दंड से आहत होकर याचिकाकर्ता ने आपराधिक अपील संख्या 29/2018 दायर की, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 653/2020 दायर की, जिसे भी अपीलित आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आरोपित एवं पुष्टि की गई दोषसिद्धि एवं दंड को बरकरार रखा गया।

<u>याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतियां:</u>

6. प्रारंभ में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय, अपीलीय न्यायालय तथा विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता के मामले पर समुचित विचार किए बिना ही उसे दोषसिद्ध कर त्रुटि की है। यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय इस तथ्य का समुचित मूल्यांकन करने में विफल रहे कि याचिकाकर्ता ने ऋण राशि का पुनर्भुगतान कर दिया था और ऋण चुकाने के पश्चात कंपनी से रसीद (प्रदर्श-पी9), अनापत्ति प्रमाणपत्र (प्रदर्श-पी8) तथा प्रपत्र संख्या 35 (प्रदर्श-पी10) प्राप्त किया था। यह भी इंगित किया गया कि कंपनी कोई भी दस्तावेज/लेजर/पुस्तिका प्रस्तुत करने में विफल रही, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्त द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया गया था। यहाँ तक कि कथित रूप से जाली प्रपत्र संख्या 35 भी न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।
7. यह तर्क दिया गया कि अभियोजन यह प्रदर्शित करने हेतु कोई साक्ष्य/सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहा कि विवादित दस्तावेज किस प्रकार तथा किस कंप्यूटर/प्रिंटर का उपयोग कर तैयार किए गए। अभिलेख पर ऐसा कोई सामग्री भी उपलब्ध नहीं है जो अभियुक्त को कथित जाली हस्ताक्षरों से जोड़ सके। यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसे साक्ष्य के अभाव में याचिकाकर्ता को आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।
8. यह प्रस्तुत किया गया कि प्रदर्श-पी11 एवं प्रदर्श-पी12 कथित रूप से रसीद एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र के वे प्रारूप हैं, जिन्हें कंपनी अपने ग्राहकों को जारी करती है। जिस ग्राहक को प्रदर्श-पी11 एवं प्रदर्श-पी12 प्राप्त करने का अधिकार था, उसका विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षण नहीं किया गया। जब उक्त ग्राहक से संबंधित ऋण का समापन हो गया

था और प्रदर्श-पी11 एवं प्रदर्श-पी12 जारी कर दिए गए थे, तब कंपनी के पास उन दस्तावेजों को अपने पास सुरक्षित रखने का कोई कारण नहीं था। अतः इन दस्तावेजों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता और यह भी प्रस्तुत किया गया कि उक्त दोनों प्रदर्श उचित अभिरक्षा (proper custody) से प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

9. यह भी प्रस्तुत किया गया कि सभी साक्षी कंपनी के कर्मचारी थे, अतः उनके बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह इंगित किया गया कि पीडब्ल्यू-4 ही एकमात्र स्वतंत्र साक्षी था तथा पीडब्ल्यू-13 ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन अपने मामले को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है, अतः न्याय के हित में अपीलित आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को दोषमुक्त किया जाए।

<u>उत्तरदाता-राज्य की ओर से प्रस्तुतियां</u>:

10. इसके विपरीत, कर्नाटक राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने ठोस आधारों पर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दंडित किया है और उसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने ऋण का पुनर्भुगतान किए बिना ही वाहन को पीडब्ल्यू-4 को बेच दिया तथा प्रदर्श-पी8 से पी10 तक के दस्तावेजों की जालसाजी की। विवादित दस्तावेजों को अभियुक्त के स्वीकृत हस्ताक्षर एवं हस्तलेख के साथ हस्तलेख विशेषज्ञ को भेजा गया था। विशेषज्ञ की रिपोर्ट (प्रदर्श-पी28) पूर्णतः अभियोजन के मामले का समर्थन करती है। अतिरिक्त रूप से, कंपनी के मंडल प्रबंधक पीडब्ल्यू-5 ने स्पष्ट रूप से यह बयान दिया कि उन्होंने प्रदर्श-पी8, पी9 एवं पी10 पर न तो हस्ताक्षर किए और न ही उन्हें जारी किया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि जाली एवं कपटपूर्ण दस्तावेजों का निर्माण केवल अभियुक्त द्वारा ही किया गया है। इन परिस्थितियों में यह तर्क दिया गया कि अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे सिद्ध कर दिया है। उपर्युक्त आधारों पर, विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान याचिका को खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

<u>विश्लेषण, विचार-विमर्श एवं निष्कर्ष</u>

11. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का भी अवलोकन किया है। हमारे समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420, 468, 465 एवं 471 के अंतर्गत अपराध करने का दोषी है, और यदि हाँ, तो क्या विचारण न्यायालय द्वारा उस पर आरोपित तथा अपीलीय न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई सजाएँ हस्तक्षेप की अपेक्षा रखती हैं।

12. अभियुक्त ने कंपनी से ऋण लेने तथा उसके पश्चात वाहन को सावित्तरम्मा के पक्ष में बेचने के तथ्य का खंडन नहीं किया है। तथापि, उसने यह विशिष्ट प्रतिरक्षा ली है कि उसने ऋण चुका दिया था और खाता बंद कर दिया था। पीडब्ल्यू-1, जो कंपनी में प्रबंधक के रूप में कार्यरत था और सूचक था, ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त ने ऋण का भुगतान नहीं किया था और जाली दस्तावेजों के आधार पर परिकल्पना (hypothecation) हटवा ली थी। उसने यह भी कहा कि प्रदर्श-पी8, पी9 एवं पी10 कंपनी द्वारा जारी नहीं किए गए हैं और उन्हें जाली दस्तावेज के रूप में पहचाना। पीडब्ल्यू-1 ने अभियुक्त द्वारा 2-3 किश्तों के भुगतान को स्वीकार किया है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, यदि कोई ग्राहक 5 किश्तों के भुगतान में चूक करता है, तो कंपनी को वाहन जब्त करने का अधिकार होता है। उसने यह भी कहा कि अन्वेषण अधिकारी ने कंपनी के मंडल प्रबंधक के नमूना लेखन एवं हस्ताक्षर प्रदर्श-पी13 एवं पी14 के रूप में संकलित किए। इसी प्रकार, अभियुक्त के लेखन भी प्रदर्श-पी15 एवं पी16 के रूप में संकलित किए गए। इन दस्तावेजों को परीक्षण हेतु हस्तलेख विशेषज्ञ को भेजा गया। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा कि प्रदर्श-पी11 एवं पी12 वे मानक नमूना रसीद एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र हैं, जिन्हें कंपनी अपने ग्राहकों को जारी करती है और ये दस्तावेज द्विप्रति में तैयार किए जाते हैं, जिनमें से एक प्रति कंपनी अपने पास रखती है। यह भी बयान दिया गया कि कंपनी के नियमों के अनुसार, ऋण के समापन के पश्चात एक सप्ताह के भीतर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाना होता है।

13. पीडब्ल्यू-3 नागभूषण कंपनी में विधिक कार्यकारी है और उसने पीडब्ल्यू-1 के कथन का समर्थन किया है। पीडब्ल्यू-5 नंदकुमार कंपनी के मंडल प्रबंधक हैं। इस साक्षी के अनुसार, जब कोई ग्राहक संपूर्ण ऋण का पुनर्भुगतान कर देता है, तो संबंधित शाखा उनके (पीडब्ल्यू-5) पास अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु प्रकरण फाइल अग्रेषित करती है।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभियुक्त के ऋण से संबंधित प्रकरण फाइल कभी उनके कार्यालय में नहीं आई और उन्होंने किसी भी समय प्रदर्श-पी10 जारी नहीं किया। उन्होंने प्रदर्श-पी10 पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया और यह बयान दिया कि उक्त दस्तावेज जाली है।

14. पीडब्ल्यू-8 वेंकटरामैया कंपनी में कनिष्ठ कार्यकारी है। उसने बयान दिया कि जिस प्रासंगिक अवधि में अभियुक्त द्वारा ऋण चुकाने का दावा किया गया है, उस समय वह संबंधित शाखा में कैशियर के रूप में कार्यरत था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि शाखा के कैशियर होने के नाते उसने प्रदर्श-पी9 जारी नहीं किया और न ही अभियुक्त से कोई भुगतान प्राप्त किया। इस साक्षी ने यह भी बयान दिया कि अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त तथा पीडब्ल्यू-5 के हस्ताक्षर एवं लेखन प्राप्त किए थे।

15. पीडब्ल्यू-4, जो सावित्तरम्मा के पति हैं, ने बयान दिया कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर उक्त वाहन अभियुक्त से खरीदा था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके अनुरोध पर अभियुक्त आरटीओ, नेलमंगला के कार्यालय से क्लीयरेंस प्रमाणपत्र लेकर आया था। पीडब्ल्यू-9 दिनेश कुमार, जो पुलिस उप-निरीक्षक हैं, ने बयान दिया कि उन्हें आरटीओ, नेलमंगला से प्रदर्श-पी9 एवं पी10 प्राप्त हुए। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने नमूना हस्तलेख एवं हस्ताक्षर तथा प्रदर्श-पी8 से पी10 के साथ-साथ पीडब्ल्यू-1 से प्राप्त नमूना दस्तावेज (प्रदर्श-पी11, पी12 एवं पी19) को हस्तलेख विशेषज्ञ के पास परीक्षण हेतु भेजा।

16. पीडब्ल्यू-11 सैयद असगर इमाम, बेंगलुरु स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक हैं। यह साक्षी इस मामले में एक विशेषज्ञ साक्षी है और उसने विशेषज्ञ रिपोर्ट (प्रदर्श-पी28) प्रस्तुत की है। इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदर्श-पी8 एवं पी9 पर पाए गए हस्ताक्षर जाली हैं। इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदर्श-पी10 पर पाए गए D5, D6 एवं D7 हस्ताक्षर अभियुक्त द्वारा ही किए गए हैं। यह भी कहा गया कि इन दस्तावेजों पर पाए गए हस्ताक्षर पीडब्ल्यू-5 के हस्ताक्षर नहीं हैं, जो कंपनी की ओर से ऐसे दस्तावेज जारी करने के सक्षम अधिकारी हैं।

17. यह निस्संदेह सत्य है कि अभियोजन के कुछ साक्षी कंपनी में कार्यरत अधिकारी हैं, किन्तु मात्र इसी कारण उन्हें हितग्राही (interested) साक्षी नहीं कहा जा सकता। अभियुक्त द्वारा झूठे फँसाए जाने के तर्क को पुष्ट करने हेतु इन साक्षियों के विरुद्ध

किसी शत्रुता या दुर्भावना को प्रदर्शित करने वाला कोई भी सामग्री अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, सिवाय एक सामान्य आरोप के। जैसा कि पूर्व में कहा गया, अभियुक्त ने यह विशिष्ट प्रतिरक्षा ली कि उसने संपूर्ण ऋण राशि का पुनर्भुगतान कर दिया था। तथापि, यह प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया कि राशि का भुगतान कैसे किया गया, कब किया गया और किस माध्यम से किया गया। ऐसी विशिष्ट प्रतिरक्षा लेने के पश्चात, अभियुक्त पर यह दायित्व था कि वह साक्ष्य प्रस्तुत कर अपनी प्रतिरक्षा को संभाव्य बनाए। हमारे विचार में, अभियुक्त इस संबंध में विफल रहा है।

18. वास्तव में, न्यायालय इस बात से कुछ आश्चर्यचकित है कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष भी यह रुख अपनाया है कि दस्तावेज वास्तविक हैं और जाली एवं/या कपटपूर्ण नहीं हैं, जबकि समस्त साक्ष्य, चाहे वे मौखिक हों या दस्तावेजी, इसके विपरीत स्पष्ट संकेत करते हैं। इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर ऐसा कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह दर्शाया जा सके कि अभियुक्त ने ऋण का पुनर्भुगतान किया था। स्पष्टतः, यदि याचिकाकर्ता ने वास्तव में ऋण चुका दिया होता, तो वह न्यायालयों के समक्ष ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता था, जिससे यह प्रदर्शित होता कि उसके खाते/स्रोत से वित्तपोषक कंपनी को धनराशि स्थानांतरित की गई थी। ऐसा नहीं किया गया है।

19. इस स्तर पर, तथा आगे कही गई बातों के अधीन रहते हुए, इतना कहना पर्याप्त होगा कि याचिकाकर्ता के दोष को स्थापित करने के लिए पर्याप्त एवं विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालयों ने उचित रूप से विश्वास किया और निर्भर किया। अतः इसमें कोई त्रुटि न पाए जाने के कारण दोषसिद्धि में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। दंड के प्रश्न पर, हमें प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, में कुछ संशोधन की आवश्यकता हो सकती है, जिस पर हम उपसंहारात्मक अनुच्छेद में विचार करेंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता को आरोपित दंड एक साथ (concurrently) चलेंगे।

20. **दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024) 10 एससीसी 690** में, जो इस न्यायालय की समन्वय पीठ का एक हालिया निर्णय है, निम्नलिखित प्रकार

से प्रतिपादित किया गया है:

'आपराधिक न्यासभंग और छल के बीच अंतर'

35. इस न्यायालय ने अपने निर्णय एस.डब्ल्यू. पलानीटकर बनाम बिहार राज्य [(2002) 1 एससीसी 241 : 2002 एससीसी (क्रि) 129] में, आपराधिक न्यासभंग (धारा 406 भारतीय दंड संहिता) तथा छल (धारा 420) के अपराध के गठन हेतु आवश्यक तत्वों के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। प्रासंगिक अवलोकन इस प्रकार हैं: (एससीसी पृ. 246, अनुच्छेद 9-10)

"9. आपराधिक न्यासभंग के अपराध के गठन हेतु आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं: (i) किसी व्यक्ति को संपत्ति या उस पर किसी प्रकार के आधिपत्य के साथ न्यासित (entrust) किया जाना; (ii) ऐसा न्यासित व्यक्ति– (a) उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग या उसे अपने उपयोग में परिवर्तित करना; अथवा (b) उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग या निपटान करना, या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देना, जो (i) ऐसे न्यास के निर्वहन की विधि निर्धारित करने वाले किसी विधिक निर्देश के उल्लंघन में हो, या (ii) ऐसे न्यास के निर्वहन से संबंधित किसी वैधानिक अनुबंध के उल्लंघन में हो।

10. छल (cheating) के अपराध के गठन हेतु आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं: (i) किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसके साथ कपटपूर्ण या बेईमानी से प्रेरणा (inducement) दी गई हो; (ii)(a) ऐसे धोखे में आए व्यक्ति को किसी व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए प्रेरित किया गया हो, या किसी व्यक्ति को संपत्ति अपने पास रखने की सहमति देने के लिए प्रेरित किया गया हो; अथवा (b) ऐसे धोखे में आए व्यक्ति को जानबूझकर ऐसा करने या न करने के लिए प्रेरित किया गया हो, जो वह अन्यथा, यदि उसे धोखा न दिया गया होता, तो न करता या न छोड़ता; और (iii) उपखंड (ii)(b) के अंतर्गत आने वाले मामलों में, वह कृत्य या चूक ऐसी हो जो उस व्यक्ति को, जिसे प्रेरित किया गया है, शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति के संबंध में हानि या क्षति पहुँचाती हो या पहुँचाने की संभावना रखती हो।"

36. *उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि आपराधिक न्यासभंग (भारतीय दंड संहिता की धारा 406) तथा छल (भारतीय दंड संहिता की धारा 420) के अपराधों के अपने-अपने विशिष्ट तत्व होते हैं:*

आपराधिक न्यासभंग (भारतीय दंड संहिता की धारा 406) के गठन हेतु:

(1) *किसी व्यक्ति को संपत्ति या उस पर अधिकार (dominion) के साथ न्यासित किया जाना आवश्यक है, और*

(2) *ऐसा न्यासित व्यक्ति:*

(क) *बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग किया हो या उसे अपने उपयोग में परिवर्तित किया हो, या*

(ख) बेईमानी से संपत्ति का उपयोग या निपटान किया हो, या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने दिया हो, जो उल्लंघन में हो:

(i) ऐसे न्यास के निर्वहन की विधि निर्धारित करने वाले किसी विधिक निर्देश का; या

(ii) न्यास के निर्वहन से संबंधित किसी वैधानिक अनुबंध का (देखें: एस.डब्ल्यू. पलानीटकर बनाम बिहार राज्य (2002) 1 एससीसी 241: 2002 एससीसी (आपराधिक) 129)

इसी प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत अपराध के संबंध में आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं:

(1) किसी व्यक्ति को धोखा देना, चाहे झूठा या भ्रामक प्रतिरूप प्रस्तुत करके या अन्य किसी कृत्य अथवा चूक द्वारा;

(2) कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति का परित्याग करने के लिए प्रेरित करना; या

(3) *किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को अपने पास रखने की सहमति देने के लिए प्रेरित करना तथा अंततः उसे जानबूझकर ऐसा करने या न करने के लिए प्रेरित करना, जो वह अन्यथा न करता या न छोड़ता (देखें: हरमनप्रीत सिंह अहलूवालिया बनाम पंजाब राज्य (2009) 7 एससीसी 712: (2009) 3 एससीसी (आपराधिक) 620)*

37. *इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त दोनों धाराओं में 'मेंस रिया' अर्थात् धोखा देने का आशय*

या बेईमानी का आशय उपस्थित होना आवश्यक है, और छल के मामले में यह आशय प्रारंभ से ही विद्यमान होना चाहिए।

xxxx

40. *अन्य शब्दों में, छल के मामले में कपटपूर्ण या बेईमानी का आशय लेन-देन के प्रारंभ से ही विद्यमान होता है। किन्तु आपराधिक न्यासभंग के मामले में, कोई व्यक्ति विधिपूर्वक चल संपत्ति के कब्जे में आता है, परंतु अनुबंध की शर्तों के विपरीत उसे अवैध रूप से अपने पास रखता है या अपने उपयोग में परिवर्तित करता है, तो ऐसे मामले में यह प्रश्न उठता है कि क्या वह कब्जा बेईमानी के आशय से है या नहीं, और क्या वह आपराधिक न्यासभंग है या मात्र दीवानी दायित्व–यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।*

41. *मात्र अनुबंध के उल्लंघन और आपराधिक न्यासभंग तथा छल के अपराध के बीच का अंतर अत्यंत सूक्ष्म होता है। छल के मामले में, प्रेरित करने के समय अभियुक्त की मंशा पर विचार किया जाना चाहिए, जिसे उसके पश्चात के आचरण से आंका जा सकता है, किन्तु इसके लिए केवल पश्चात का आचरण ही एकमात्र कसौटी नहीं है। मात्र अनुबंध का उल्लंघन, छल के लिए आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकता, जब तक कि लेन-देन के प्रारंभ से ही कपटपूर्ण या बेईमानी का आशय प्रदर्शित न किया जाए, अर्थात् उस समय जब अपराध किए जाने का आरोप है। अतः यही आशय (mens rea) अपराध का सार है।*

42. जबकि आपराधिक न्यासभंग के लिए यह आवश्यक है कि संपत्ति अभियुक्त को न्यासित (entrusted) की गई हो या उस पर उसका आधिपत्य (dominion) हो। जिस संपत्ति के संबंध में न्यासभंग का अपराध किया गया है, वह या तो अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति होनी चाहिए या उस पर लाभकारी हित या स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति का होना चाहिए। अभियुक्त उस संपत्ति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विश्वास पर धारण करता है। यद्यपि आपराधिक न्यासभंग और छल दोनों अपराधों में बेईमानी का आशय सम्मिलित होता है, तथापि वे मूल अवधारणा में परस्पर भिन्न और स्वतंत्र हैं।

43. *आपराधिक न्यासभंग और छल के बीच अंतर है। छल के लिए, झूठा या भ्रामक प्रतिरूप प्रस्तुत करते समय अर्थात् प्रारंभ से ही आपराधिक आशय आवश्यक होता है।*

आपराधिक न्यासभंग में, मात्र न्यासन (entrustment) का प्रमाण पर्याप्त होता है। अतः आपराधिक न्यासभंग के मामले में, अभियुक्त को संपत्ति विधिपूर्वक सौंपी जाती है और वह उसका बेईमानी से दुरुपयोग करता है। जबकि छल के मामले में, अभियुक्त किसी व्यक्ति को धोखा देकर कपटपूर्वक या बेईमानी से उसे संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते।

xxx

55 *अब समय आ गया है कि देशभर के पुलिस अधिकारियों को विधि का समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे छल (cheating) तथा आपराधिक न्यासभंग (criminal breach of trust) के अपराधों के बीच सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र एवं भिन्न हैं। ये दोनों अपराध एक ही तथ्य-समूह में एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। ये एक-दूसरे के प्रतिकूल (antithetical) हैं। भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023) के ये दोनों प्रावधान ऐसे जुड़वां नहीं हैं कि एक-दूसरे के बिना अस्तित्व में न रह सकें।*

21. उपर्युक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के साथ तथ्यात्मक पहलुओं के समग्र अवलोकन के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 एवं 420 के अवयवों की पूर्ति के संबंध में, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो सकता है कि याचिकाकर्ता को धारा 406 तथा 420 दोनों के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। किन्तु, वर्तमान मामले में, समस्त मुद्दे पर समुचित विचार करने पर एक सूक्ष्म अंतर परिलक्षित होता है, क्योंकि दो भिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत पृथक-पृथक अपराध किए गए हैं; प्रथम, कंपनी तथा द्वितीय, मल्लिकार्जुन (PW4 तथा क्रेता सावित्रम्मा के पति)। अतः, वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, स्पष्टतः याचिकाकर्ता कंपनी के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत दंडनीय है, तथा मल्लिकार्जुन (PW4 तथा क्रेता सावित्रम्मा के पति) के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत दंडनीय है, दोषी है।

22. अतएव, उपर्युक्त कारणों से, आपराधिक विशेष अनुमति याचिका/याचिकाएँ निरस्त की जाती हैं तथा विवादित आदेश को, उपर्युक्त वर्णित अपराधों के भेद को स्वीकार करते हुए, यथावत् बनाए रखा जाता है और न्याय के हित में आरोपित दंड को घटाकर एक

वर्ष छह माह का साधारण कारावास किया जाता है। जमानत आवेदन से यह परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका है और वर्तमान में केंद्रीय कारागार, परप्पना अग्रहार, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट, बेंगलुरु में निरुद्ध है। अतः उसे इस आदेश के अनुसार शेष दंडावधि भोगने का निर्देश दिया जाता है। यह इस तथ्य के बावजूद होगा कि समान तिथि के कार्यवाही अभिलेख के माध्यम से हमने वाद/वादों को सरलतया निरस्त कर दिया था।

23. रजिस्ट्री इस आदेश को तत्काल केंद्रीय कारागार, परप्पना अग्रहार, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट, बेंगलुरु के अधीक्षक को संप्रेषित करेगी।

24. हम व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित करना उचित नहीं समझते हैं। लंबित अंतरिम आवेदन विचारार्थ शेष नहीं हैं और उन्हें निरस्त किया जाता है।

मामले का परिणाम: विशेष अनुमति याचिका खारिज।

† शीर्ष टिप्पणियां अंकित ज्ञान द्वारा तैयार की गईं।

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|